न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मण्डा भिण्डा)

मु.न. 76/2014

उनवान

1. श्रीनारायण पुत्र माधो, जाति गुसाई, उम्र वर्ष करीब निवासी ग्राम गोरी का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र रामचन्द्र
2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र
3. रतन पुत्र रामचन्द्र
4. चेतन पुत्र रामचन्द्र
5. प्रभाती पुत्री स्व0 रामचन्द्र
6. भगवानी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
7. मनोज पुत्र स्व0 गीगराज
8. मोहन पुत्र स्व0 गीगराज
9. मनीष पुत्र स्व0 गीगराज
10. मखनी पुत्री स्व0 गीगराज
11. पूजा पुत्री स्व0 गीगराज
12. कंवरी देवी पत्नी गीगराज

समस्त जातियान जाट, निवासी ग्राम गोरी का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

13. हनुमान सहाय पुत्र टेकराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम गोरी का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 13.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मण्डा भिण्डा में पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम गोरी का बास, पटवार हल्का मण्डा भिण्डा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 70, पुराना खाता संख्या 63, जिसके हाल खसरा नम्बर 35 रकबा 2.27 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें वादी का रिकार्डेड हिस्सा 226/227 है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किया हुआ है तथा 1/227 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का है। वादी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की खातेदारी की भूमि में अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है, तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। उक्त भूमि में सिंचाई के लिये वादी द्वारा कराया गया बोरिंग मय बिजली कनेक्शन के स्थित है, जिससे वादी उपने उक्त खातेदारी की भूमि की सिंचाई करता है व उपयोग व उपभोग कर रहा है, तथा वर्तमान में

Scanned by CamScanner

वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 35 रकबा 2.26 हैक्टेयर भूमि में गेहूँ व जौ की फसल बोई हुई है, जो मौके पर विद्यमान है।

वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 35 में उत्तर की ओर वादी की अपनी सीमा पर पत्थर गाड कर तारबन्दी की हुई है, जिससे की वादी की खातेदारी में बोयी फसल की जानवरों से रक्षा हो सकें, तथा फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकें।

वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 35 के उत्तर में वादी की तारबन्दी की हुई सीमा के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की खातेदारी की भूमि स्थित है।

वादी की खातेदारी की भूमि के पास ही मण्डा भिण्डा का औद्योगिक क्षेत्र हैं, तथा ग्राम गोरी का बास में उक्त कारण से जमीनों के भाव अधिक होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 जो संख्या में अधिक है तथा पैसे वाले व असरदार व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 हर सम्भव तरीके से वादी जो करीब 72 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा अकेला है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 35 की खातेदारी की भूमि पर लाठी के जौर पर कब्जा करने को प्रयासरत है। इसी उद्देश्य की पूर्ती हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 ने अवैध जन समूह का गठन कर लाठी के जौर पर दिनांक 16.03.2014 को उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 35 की सीमा पर लगी तारबन्दी को व पत्थरों को उखाड दिया तथा खसरा नम्बर 35 की भूमि में अवैध रूप से नींव खोदकर निर्माण करने लग गये। वादी के मना करने पर लडाई झगडा करने पर व मारपीट करने को आमदा हो गये, तथा धमकी दी कि कोर्ट व पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 वादी की जमीन में घुस कर उसमें निर्माण कार्य करेंगे। इसलिये वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी संख्या 13 खसरा नम्बर 35 का 1/227 हिस्से का खातेदार है तथा आवश्यक पक्षकार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है, प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 35 में वादी के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, ना ही वादी की खातेदारी की भूमि में कब्जा करने की कोई कार्यवाही करें, व ना ही वादी की खातेदारी भूमि में कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, तथा वादी की खसरा नम्बर 35 के उत्तरी सीमा पर की हुई तारबन्दी को पूर्ववत लगाने में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि से करवायें। तथा जो अवैध रूप से नींव खोदकर निर्माण किया है उसे हटाकर भूमि प्लेन की जावें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः

Scanned by CamScanner

इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। उभयपक्षकारान उपस्थित। वादीगण को सुना गया। वादीगण आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 2.27 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर, वाके ग्राम गोरी का बास, पटवार हल्का मण्डा भिण्डा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर जिसमें वादी हिस्सा 226/227 का सहखातेदार है कि हद तक उभयपक्षकार अपनी खातेदारी भूमि में बने रहकर काश्त करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी नही करेंगे तथा प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सम्मुख उपस्थित होकर बात रखने के सापेक्ष उभयपक्षों को पूर्व से कायम सीमा चिन्हों के साथ किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं पूर्व से कायम सीमा चिन्हों को नष्ट, क्षतिग्रस्त नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मण्डाभिण्डा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चीथवाडी)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– **76/2014**

उनवान

1. श्रीनारायण पुत्र माधो, जाति गुसाई, उम्र वर्ष करीब निवासी ग्राम गोरी का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र रामचन्द्र
2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र
3. रतन पुत्र रामचन्द्र
4. चेतन पुत्र रामचन्द्र
5. प्रभाती पुत्री स्व0 रामचन्द्र
6. भगवानी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
7. मनोज पुत्र स्व0 गीगराज
8. मोहन पुत्र स्व0 गीगराज
9. मनीष पुत्र स्व0 गीगराज
10. मखनी पुत्री स्व0 गीगराज
11. पूजा पुत्री स्व0 गीगराज
12. कंवरी देवी पत्नी गीगराज

    समस्त जातियान जाट, निवासी ग्राम गोरी का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

13. हनुमान सहाय पुत्र टेकराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम गोरी का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 2.27 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर, वाके ग्राम गोरी का बास, पटवार हल्का मण्डा भिण्डा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर जिसमें वादी हिस्सा 226/227 का सहखातेदार है कि हद तक उभयपक्षकार अपनी खातेदारी भूमि में बने रहकर काश्त करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी नही करेंगे तथा प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सम्मुख उपस्थित होकर बात रखने के सापेक्ष उभयपक्षों को पूर्व से कायम सीमा चिन्हों के साथ किसी प्रकार की

Scanned by CamScanner

दखलअंदाजी एवं पूर्व से कायम सीमा चिन्हों को नष्ट, क्षतिग्रस्त नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मण्डाभिण्डा मे आज तारीख 13.06.2018 को जारी किया गया।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner